International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 9 Issue 6, Nov-Dec, 2021, Impact Factor: 7.326

भारतीय संघवाद

राजकुमार सिवाच

एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय जसिया, रोहतक

भारत जैसे विशालकाय जनसंख्या वाले राष्ट्र में क्षेत्रीयतावाद की समस्या का पाया जाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि भारत में भाषा, जाति, धर्म व सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं ने क्षेत्रीयतावाद की भावना को बढ़ावा दिया है। क्षेत्रीयतावाद की भावना को बढ़ावा देने में भौगोलिक व राजनीतिक कारणों का भी कम महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। क्षेत्रीयतावाद की भावना चार रूपों में हमारे सामने आती है, कुछ राज्यों की जनता द्वारा भारतीय संघ से पृथ होने की मांग, जनता द्वारा पृथक राज्य का दर्ज दिए जाने की मांग, पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग तथा अन्तर्राज्जीय विवाद । क्षेत्रीयतावाद का सबसे घातक रूप संघ से अलग होने की मांग के रूप में सामने आता है । क्षेत्रीयतावाद की भावना में बहकर नए-नए राज्यों के निर्माण की माँगों को लेकर आन्दोलन चलाए जाते हैं ताकि अपने-अपने क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास किया जा सके। यह सच है कि छोटे राज्यों में विकास की गति तेज होगी परन्तु समस्त देश की प्रगति का सम्बन्ध सभी राज्यों की उन्नति से जुड़ा होता है और समस्त देश की उन्नति द्वारा ही राज्यों की प्रगति की जा सकती है न कि राज्यों को टुकड़ों में बांटने से । क्षेत्रीयतावाद की भावना व अधिक विकास को मुद्दा बनाकर क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ है । क्षेत्रीय दलों के विकास में भौगोलिक, सांस्कृतिक, जातीय, साम्प्रदायिक, आर्थिक व राजनीतिक आदि कारणों का योगदान भी रहता है वहीं पर इनके विकास में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के इतिहास और उनके नेताओं के अतीत का अध्ययन करने से पता चलता है कि अधिकतर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ कांग्रेस में से ही निकल कर बनी हैं। असंतुष्ट नेता कांग्रेस को छोड़ अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय दल का निर्माण कर राजनीति में प्रभावात्मक भूमिका निभाते रहे हैं। क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय मुद्दों व क्षेत्रीय समस्याओं को उठाकर जल्द ही प्रसिद्धि पा कर राज्य राजनीति में प्रभावात्मक स्थिति तक पहुंच जाते हैं।

1967 के बाद से राज्यों में और 1977 के बाद से केन्द्र में क्षेत्रीय दल अपनी प्रभावात्मक भूमिका निभा रहे हैं । क्षेत्रीय दलों के सत्ता में आने से केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सुधार की जो आशा की जा रही थी, जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, उनके समान तो नहीं मगर केन्द्र राज्य सम्बन्धों में सुधार अवश्य आया हैं। आज भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक केन्द्रीयकृत है, राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर राष्ट्रपति शासन लागू करने तथा केन्द्रीय सूची और समवर्ती सूची में ढेर सारे विषयों को शामिल करने तक मूलतः यह एक केन्द्रपक्षी स्थिति है जबकि क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियाँ राज्यों को ओर अधिक स्वायत्ता देने की पक्षधर हैं जो कि सही रूप से लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण का सूचक है, परन्तु राज्यों को स्वायतत्ता केन्द्र को कमजोर करके नहीं दी जानी चाहिए । ऐसे प्रावधान की है कि राज्यों को ओर अधिक अधिकार मिले व अधिक विकास के अवसर मिले और केन्द्र भी कमजोर न हो। क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव के साथ-साथ अंतर राज्यीय परिषद की कार्यप्रणाली में बदलाव आया है । 1991 से अंतर-राज्यीय परिषद अपना कोई अधिक प्रभाव नहीं दिखा पाई, मगर 1996 के बाद से केन्द्र की गठजोड़ सरकारों और अंतर राज्यीय परिषद अधिक सहयोगपूर्ण कार्य कर रही है। क्षेत्रीय दलों के उदय के साथ ही साथ राज्यपाल पद व उसकी भूमिका में भी परिवर्तन होना शुरु हुआ और पिछले चार दशकों से राज्यपाल पद जितना विवादों से घिरा रहा है उतना सर्वैधानिक पद शायद ही कोई ओर होगा । स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद प्रारम्भिक दौर में संविधान में गहरी निष्ठा व आस्था रखने वाले लोगों को राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया था ।

परन्तु समय के साथ–साथ राजनीति में पिछड़े हुए लोगों को भी इस पद पर नियुक्त किया जाने लगा। 1962 तक नेहरू जी की प्रभावात्मक भूमिका के कारण विवाद उभर कर नहीं आए और 1967 के पहले तक केन्द्र और राज्यों में एक ही दल (कांग्रेस) की सरकार होने के कारण स्थिति सामान्य रही। परन्तु 1967 के आम चुनाव के बाद जब कई राज्यों में गैर–कांग्रेस या कांग्रेस विरोधी सरकार बनी तो राज्यपाल का पद विवाद का विषय बन गया। केन्द्र सरकार ने कई बार राज्यपाल पद को राज्यों में विरोधी दल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया है।

केन्द्र विरोधी शासित राज्य के मुख्यमन्त्री केन्द्र के विश्वासपात्र राज्यपाल के सामने शासन चलाने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं। केन्द्र में सरकार बदलने के बाद राज्यों के राज्यपालों को वापस बुलाना और नए राज्यपालों की नियुक्ति करना एक परम्परा ब जा रही है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य की भागीदारी और राज्यपाल को उसके पद से हटाए जाने की कानून व्यवस्था व प्रणाली का उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप में समाविष्ट किया जाना चाहिए, जिससे राज्यपाल को अवधारणा सुदृढ़ हो और राज्यपाल संविधान अनुसार कार्य कर सके। राजनीति से जुड़े रहे या राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों को राज्यपाल न बनाया जाए। राज्यपाल को केन्द्र राज्य सम्बन्धों को मधुर बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। राज्यपालों को अपने पद की मर्यादाओं को बनाए रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए ।क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों के बढ़ते प्रभाव से गठजोड़ सरकारों का सिलसिला प्रारम्भ हुआ है। राज्य स्तर पर गठजोड़ सरकारों की राजनीति की शुरुआत केरल में प्रथम आम चुनाव 1952 में हो गई थी। मगर केन्द्र में गठजोड़ राजनीति 1977 से आरम्भ हुई। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव 1989 के बाद से निरन्तर बढता जा रहा है। 1989 से 1999 तक के चुनावों में क्षेत्रीय दलों के सहयोग से सरकारें बनी हैं और क्षेत्रीयदलों का महत्व व प्रभाव निरन्तर पिछले दो दशकों से प्रभावात्मक भूमिका निभा रहा है। । गठजोड़ सरकारें राज्यों में हो या केन्द्र में दोनों ही स्थितियों में प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्रियों की स्थिति एकदलीय सरकार की अपेक्षा कमजोर नजर आती रही है । 1989 से 1999 के दौरान सरकारों की अस्थिरता की समस्या उभर कर सामने आयी ।

सरकार के मार्ग में उसके घटक क्षेत्रीय दलों की सन्तुष्टि ही सबसे बड़ी बाधा बनती जा रही है और सरकार चलाने की अपेक्षा सरकार बचाना मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। क्षेत्रीय दल निरन्तर केन्द्र पर अपने–अपने हितों की सन्तुष्टि के लिए निरन्तर दबाव की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे अस्थिरता का भय बना रहता है। सरकारों की अस्थिरता की समस्या तथा गठबन्धन सरकारों के सुचारू संचालन के लिए चुनाव आयोग को चुनाव से पूर्व किए गये गठबन्धनों को ही उचित मानना व मान्यता देनी चाहिए । चुनाव पश्चात किये गए गठबन्धन अधिक अस्थिरता का कारण बन रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी गठबन्धन करने से पहले अपने दल की विचारधाराओं पर एकमत हो जाना चाहिए ताकि बाद में कोई मुद्दा विवाद का विषय बनकर सरकार के मार्ग में अवरोध उत्पन्न न करे । क्षेत्रीय दलों ने हमारे संघीय ढाँचे को काफी हद तक प्रभावित किया है। कई समस्याएँ क्षेत्रीय दलों ने हमारे संघीय ढाँचे के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं जैसे सरकारों की अस्थिरता की समस्या, (क्षेत्रीय दलों द्वारा निर्मित गठजोड़ सरकारों पर अस्थिरता का खतरा बना रहता है ।) क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से त्रिशंकु संसद की समस्या । राज्यपाल पद व धारा 356 के उभरते विवादों की समस्या और राजनीति में साम्प्रदायिकता, जाति व संकुचित राजनीतिक सोच को अधिक महत्त्व दिए जाने की समस्या । इन सब समस्याओं पर नियन्त्रण पाया जा सकता है और सघीय ढाँचे को समस्या मुक्त किया जा सकता है। क्षेत्रीय दलों को अपनी सोच में व्यापकता लानी चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दों की अपेक्षा राष्ट्र को महत्त्व देना चाहिए। जातिय और साम्प्रदायिक राजनीतिक दलों के चुनाव आयोग द्वारा कठोरता से नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सिद्धान्त विहीन राजनीतिक समझोतों की अपेक्षा सैद्धान्तिक चुनाविक तालमेल की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। यह कहना भी गलत होगा कि हमारा संघीय ढाँचा कमजोर हुआ है । संघीय ढाँचा क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव से

कमजोर नहीं हुआ बल्कि इसके सामने कुछ समस्याएं उभरी हैं, जिनका समाधान किया जा सकता है। 1989 के बाद से सरकारों की स्थिरता न रही हो, परन्तु राजनीतिक स्थिरता बरकरार रही है जो हमारे संघीय ढांचे की आज तक की महत्त्वता को दर्शाती है जो कि हमारे लिए गर्व का विषय है ।1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 तथा 2009 के चुनाव परिणामों से यह बात उभरकर सामने आई कि भारत में गठबन्धन की राजनीति का युग स्थापित हो चुका है और आने वाले समय में भी इस तरह की राजनीति का प्रतिमान भारतीय राजनीति का एक विशिष्ट लक्षण रहेगा।

अतः अब केन्द्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें स्थापित होने की सम्भावना लगभग समाप्त हो गई है। इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में राजनीतिक एकरूपता के अस्तित्व की प्रवृत्ति का पतन हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस अपनी एकाधिकार वाली स्थिति कायम नहीं रख सकी है।अप्रैल–मई, 2014 में हुए 16वीं लोकसभा चुनाव में एन० डी० ए० की सरकार बनी जिसमें गठबन्धन का नेतृत्व कर रही भाजपा को तीन दशक के बाद प्रथम बार अकेले 282 सीटों के साथ लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इसके साथ ही भाजपा स्वतन्त्रता के पश्चात् लोकसभा में पहली बार अकेले ही स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाली कोई गैर–कांग्रेसी पार्टी बनी है। केन्द्र में भाजपा नेतृत्व वाली गठबन्धन सरकार के साथ–साथ 7 राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र एवं हरियाणा में भी भाजपा नेतृत्व वाली सरकारें गठित हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरह 16वीं लोकसभा चुनाव का करिश्माई नेतृत्व आने वाले समय में अनेक राज्यों में भाजपा सत्ता पक्ष के रूप में अपना दायरा बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र राज्य पुनः भाजपा के नेतृत्व में राजनीतिक एकरूपता स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो कि भारतीय संघवाद के लिए शुभ संकेत कहे जा सकते हैं।

सन्दर्भ सूचि

[1] सक्षिप्त इतिहास महेश कुमार वर्णमाल Cosmos Publication – Delhi
[2] भारत का प्राचीन इतिहास राम शरण शर्मा Oxford University Press New Delhi
[3] Rajni Kothari Politics in India
[4] Subhash Kashyap Dal Badal aur Rajyon ki Rajneeti
[5] M.V. Paylee: Constitution Govt. in India
[6] Marris Jones W.H. : Parliament in India
[7] Palmer Narman D: The Indian Political System
[8] Basu Durga Das, Constitution of India
[9] Johri JC : Indian Govt & politics
[10] Gulshan Rai : Bhartiya Shashan & Rajneeti
[11] Nanda S.S : Bhartiya Sarkar aur Rajneeti